

शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोइवाला, देहरादून

छात्र आचार संहिता

नियम और विनियम :

यह आचार संहिता महाविद्यालय की गतिविधियों तथा परिसर में होने वाले छात्रों के सभी प्रकार के आचरण पर लागू होगी।

1. छात्र-छात्राएं पूरी कक्षा अवधि में कक्षाओं में/वाचनालय में उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे क्योंकि यादृच्छिक आगमन और निकास अपमानजनक और विचलित करने वाले होते हैं।
2. प्रत्येक छात्र को प्रवेश प्राप्त करने पर प्रमाणित पहचान पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। जब भी वह महाविद्यालय परिसर में हो, तो पहचान पत्र धारण करें और मांग पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें।
3. विद्यार्थी नियमित रहेंगे और उनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत होनी चाहिए।
4. कॉलेज परिसर के भीतर कोई भी कार्य जो कॉलेज में शैक्षणिक माहौल का उल्लंघन या खराब कर सकता है, सर्वथा वर्जनीय है। दोषी पाए जाने वाले छात्र को दंडित किया जाएगा।
5. किसी व्यक्ति के लिंग, जाति, धर्म या धार्मिक विश्वासों, रंग, क्षेत्र, भाषा, विकलांगता, या यौन उत्पीड़न, आदि के आधार पर भेदभाव (शारीरिक या मौखिक आचरण) का कोई भी कार्य निषिद्ध है।
6. संस्थान परिसर में रैगिंग पर प्रतिबंध है। यूजीसी और सरकार के निर्देशानुसार रैगिंग औरध्या रैगिंग के लिए उकसाने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है।
7. कॉलेज की संपत्ति या अन्य छात्रों और या संकाय सदस्यों की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
8. महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र अनुशासन समिति के सदस्यों अन्य प्राध्यापकों/कार्मिकों या परिसर सुरक्षा कर्मी द्वारा मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत करने से इनकार करना दंडनीय अपराध है।
9. छात्र/छात्राओं को प्रतिदिन महाविद्यालय में निर्धारित ड्रेस/यूनीफार्म में आना अनिवार्य है।



मुख्य शास्त्री
श०दु०म० श०स्ना० महाविद्यालय
डोइवाला (देहरादून)

- 10.कानून या नीति के विपरीत किसी भी विस्फोटक, हथियार, आतिशबाजी को महाविद्यालय परिसर में ले आना या उपयोग करना दंडनीय अपराध है।
- 11.कॉलेज परिसर में धूम्रपान/मद्यपान करना प्रतिबंधित है।
- 12.छात्रों और कर्मचारियों के लिए पार्किंग की जगह उपलब्ध कराई गई है। प्रत्येक छात्र अपना वाहन महाविद्यालय में पार्किंग स्थल पर खड़ा करेंगे।
- 13.छात्रों को पूर्व अनुमति के बिना परिसर में किसी भी गतिविधि की ऑडियो और वीडियो किलपिंग को सोशिल यूनिट में अग्रसारित करने अथवा मीडिया को प्रदान करने की अनुमति नहीं है।
- 14.कालेज यूनीफार्म एकता और एकरूपता का प्रतीक है, विविधता का नहीं। यह समानता और कॉलेज से संबंधित होने की भावना को भी इंगित करता है।
- 15.वाचनालय और पुस्तकालय में मौन का पालन करना रहना चाहिए। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना खाली समय पुस्तकालय में व्यतीत करें। उन्हें गलियारे के साथ नहीं घूमना चाहिए या मार्ग के किनारे भीड़ नहीं लगानी चाहिए।
- 16.नियमित रूप से महाविद्यालय के सूचना पट्ट को अवलोकित करते हुये अग्रेतर कार्य सम्पादन हेतु विज्ञ रहेंगे। तथा सम्बन्धित गतिविधियों/कार्य कलापों में प्रतिभाग करेंगे।
- 17.शिक्षणेत्तर गतिविधियों में प्रतिभाग हेतु विभिन्न समितियों के संयोजकों की सूचनाओं के अनुसार अपनी प्रतिभा अभिरुचि को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे।
- 18.शैक्षिक गतिविधियों/कक्षा सेमिनार/कार्यशाला आदि में निर्धारित समयान्तर्गत उपस्थित रहेंगे।
- 19.महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त छात्र संस्थान के नियमों और विनियमों से बंधे होते हैं।
- 20.महाविद्यालय में मुख्या शास्त्र/अनुसाशन मण्डल की अनुशंसा पर किसी भी छात्र पर अनुशासनात्मक कार्यावाही हेतु प्राचार्य अंतिम अनुशासनात्मक आज्ञाकारी है।

08/03/2020
 (डॉ० डीपूसाठ० नैनवाल)
शहीद दुर्गापिल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
प्राचार्य
डोइवाला, देहरादून (उत्तराखण्ड)

10/03/2020
 (डॉ० आर०एस० स्वत)
रामदुर्गाशास्त्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय
प्राचार्य
डोइवाला (दहरादून)